न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/178

प्रार्थीगण:–

1. दिनेश कुमार पुत्र चनणाराम जाति जीनगर, निवासी धाकडी, तहसील सोजत जिला पाली
2. सुनील कुमार पुत्र चनणाराम जाति जीनगर निवासी धाकडी तहसील सोजत, जिला पाली
3. महेन्द्र कुमार पुत्र चनणाराम, जाति जीनगर, निवासी धाकडी, तहसील सोजत, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. विद्यादेवी पत्नी छगनलाल जाति जीनगर निवासी धाकडी तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान
2. ग्राम पंचायत धाकडी जरिये सरपंच, पंचायत समिति सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।
3. ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत धाकडी, पंचायत समिति सोजत, तहसील सोजत जिला पाली, राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/08/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत धाकडी द्वारा मिसल संख्या 43/2007–08, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.05.2008 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4420 दिनांक 21.05.2008 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा, कब्जासुदा भूखण्ड ग्राम धाकडी में आया हुआ है, जिसके पडौस पूर्व दिशा में नोहरा का रास्ता, पश्चिम दिशा में चौक, उत्तर दिशा में पुखा व घेवर जाति जीनगर का मकान, दक्षिण दिशा में धाकडी से सोजत जाने वाला आम रास्ता व सडक स्थित है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 06 दिनांक 14.05.1974 के द्वारा चनणाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 1 दिनांक 04.12.1977 को जारी किया गया। जिसके पश्चात प्रार्थीगण के पट्टासुदा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में धाकडी से सोजत सडक का निर्माण किया गया, जिस पर प्रार्थीगण के पट्टासुदा भूमि को अवाप्त किये जाने के पश्चात् शेष बच्चे भूखण्ड का संशोधित पट्टा प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 10.02.1982 को जारी किया गया। प्रार्थीगण के भूखण्ड के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के पति छगनलाल पुत्र राधाकिशन जीनगर का भूखण्ड आया हुआ है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ने अपना पुश्तैनी कब्जा सुदा रहवास बताते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जिसमें जानबूझकर गलत पडौस वर्णित कर दक्षिण दिशा में सिरे दरवाजा व आम रास्ता दर्शित किया जबकि वास्तविकता में वादग्रस्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ है। मौके पर हमारी दुकाने बनी हुई है और निर्माण स्वीकृति भी ग्राम पंचायत से जारी हो रखी है। माननीय सिविल न्यायालय में जैर निगरानी आराजी पर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में तैयार कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसकी समस्त आदेशिका, भूमि निरीक्षण रिपोर्ट, नोटिस आदि की दिनांक में कांट–छांट की गई है। ग्राम पंचायत बिना प्रक्रिया अपनाये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उनके भूखण्ड के दक्षिणी दिशा की तरफ आम सडक जो सोजतसिटी से शिवपुरा जाने वाली एम.डी.आर. सडक है, उस सडक सीमा की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य आरम्भ करने पर अप्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश करने पर झुठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी पेश की है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हो रखी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चनणाराम का पट्टा फर्जी व कूटरचित है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे के पडौस में भी चनणाराम का कोई नाम अंकित नहीं है यदि वास्तविकता में ग्राम पंचायत से पट्टा जारी हुआ होता तो निश्चित ही पडौस में चनणाराम का नाम दर्ज होता। प्रार्थी जिस पट्टासुदा भूमि को अपना बता रहे है व सडक सीमा की भूमि है न कि प्रार्थी की। जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा व रहवास है। ग्राम पंचायत ने विधिवत् रूप से पट्टा जारी किया है तथा उक्त मिसल की पत्रावली में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कांटछांट व फर्जीवाडा किया हुआ नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की श्रवणसुदा एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत धाकडी द्वारा मिसल संख्या 43/2007–08, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.05.2008 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4420 दिनांक 21.05.2008 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे की दक्षिण दिशा में रास्ता न होकर प्रार्थीगण के पिता का पट्टासुदा भूमि स्थित है, जिसकी ताईद में उन्होनें चनणाराम पुत्र मूलाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 04.12.1977 की प्रति पेश की। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा चनणाराम के पक्ष में ऐसा कोई पट्टा जारी ही नहीं हो रखा है। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि उक्त पट्टे के पूर्व दिशा में नोहरा का रास्ता, पश्चिम दिशा में चौक, उत्तर दिशा में केरा जटिया का थाला जो पुखा–घेवर भोवी ने खरीदा एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे के उत्तर दिशा में मांगीलाल पुत्र टीकमजी मोची, दक्षिण दिशा में आम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रास्ता, पूर्व दिशा में दिनेश कुमार पुत्र पुखराज मोची एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित है। अब यदि जैर निगरानी पट्टे की दक्षिण में अंकित पडौस पर गौर करे तो आम रास्ता है और अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा चनणाराम के पक्ष में जारी पट्टे की उत्तर दिशा में पुखा–घेवर भोबी अंकित है, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने निगरानी मीमों में यह अंकित किया कि प्रार्थीगण के भूखण्ड के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के पति छगनलाल पुत्र राधाकिशन जीनगर का भूखण्ड आया हुआ है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों चनणाराम के पट्टे की उत्तर दिशा में पुखा–घेवर अंकित है जो कि निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों से मेल नहीं खाते है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रकट नहीं होता कि चनणाराम के पक्ष में जारी पट्टे के उत्तर दिशा में अप्रार्थी के भूखण्ड का अंकन हो। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा दिनांक 23.1.2008 को दायर किया गया लेकिन उस दिनांक को ग्राम पंचायत में कोइ बैठक ही आयोजित नहीं हुई। विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में उल्लेखित किया कि ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टे की मिसल ही उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में पट्टे की वैधानिकता की जांच नहीं की सकती। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत में दिनांक 07.01.20018 के पश्चात् आगामी बैठक दिनांक 20.02.2008 को आयोजित की गयी तथा कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 23.01.2008 का अंकन ही नहीं है जबकि जैर निगरानी पट्टे की प्रति पर अंकितानुसार मिसल संख्या 43/2007–08 दिनांक 23.01.2008 को दायर की गयी। प्रकरण में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जब दिनांक 23.01.2008 को ग्राम पंचायत में कोई बैठक ही आयोजित नहीं हुई तो उक्त दिनांक को मिसल कैसे दर्ज हो सकती है ? इसका मतलब है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का अस्तित्व ही नही है, यानी पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 05.04.2022 के अनुसार मिसल संख्या 43/2007–2008 ग्राम पंचायत में नहीं है और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत मिसल जिस दिनांक को दर्ज की गयी वह प्रस्ताव भी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

255 से 265—आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है—प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई—भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई—कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ—अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है—विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961—नियम 256 व 260—पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय—प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी—अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी—पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है—भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई—अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की ज़ाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157—पंचायती राज अधिनियम, 1994—धारा 63 व 97—आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की—जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता—प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती—नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं—अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत धाकडी द्वारा मिसल संख्या 43/2007–08, संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.05.2008 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4420 दिनांक 21.05.2008 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, ग्राम पंचायत धाकडी को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)